न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2016

अनवान:–

1 गगादेवी पत्नी चेतराम पुत्र गीधा
2 कमलादेवी पत्नी रामकरण पुत्र गीधा।
3 कृष्णा देवी 4 लालचंद 5 महावीर 6 सन्तलाल पि. रामकरण पुत्र गीधा
अकवाम जाट सा. ढाणी लालखां तह0 नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत शर्त सं0 7 व 9 राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा क्षेत्र में राजकीय भूमि का गैर दाखिलकार को आवंटन) शर्ते 1970

उपस्थितः– 1 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक प्रार्थीयान।
2 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 10.9.2021

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि स्व0 गीधा पुत्र हीरा प्रार्थीगण के पूर्वज थे। स्व0 गीधा की ग्राम श्योदानपुरा में ख0नं0 346 मि0 में 39.13 बीघा भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व बतौर गैर दाखिलकार कब्जा काश्त था। गीधा की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्रों को उक्त भूमि औद हुई। यह भूमि चक बंदी के दौरान चक 21 केएनएन व 22 केएनएन में 40.00 बीघा पैमूद हुई। इस 40 बीघा में से 39.00 बीघा जिलाधीश गंगानगर से दिनांक 9.2.74को आवंटित हो गयी। संहवन से चक 21 केएनएन प0नं0 278/380 कि0नं0 16 की 1.00 बीघा भूमि आवंटन से शेष रह गयी। यह भूमि राजस्व अभिलेख में चक 21 केएनएन की 1.00 बीघा वर्तमान में स्व0 चेतराम की पत्नी गंगादेवी व स्व. रामकरण व स्व0 श्योलाल के नाम दर्ज चली आ रही है। रामकरण के जायज वारिसान प्रार्थी 2 से 6 हैं। स्व0. श्योलाल अविवाहित फौत हो चुके हैं।जिनके जायज वारिसान प्रार्थीगण ही हैं। उक्त भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज की गैरदाखिलकारी की थी तथा इस भूमि पर निरन्तर सम्वत् 2016 तक व तत्पश्चात् कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि गैरदाखिलकारी की थी लेकिन भू प्रबंध विभाग ने पर्चा लगान जारी करते समय इस भूमि को दीगर 39 बीघा के साथ शामिल करते हुए गैरखातेदारी दर्ज कर दिया तथा इस कारण प्रार्थीगण को यह ज्ञात नही हो सका हैकि यह भूमि गैरदाखिलकारी है या गैरखातेदारी की है। प्रार्थीगण को तहसील से नोटिस मिलने व पुराना अभिलेख पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ इसलिए गैरदाखिलकारी भूमि का आवंटन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थीगण राजस्थान के मूल निवासी है व सदभावी कृषक हैं। प्रार्थीगण के पास इस भूमि के अलावा 54 बीघा बारानी भूमि है जो सीलिंग सीमा से कम है। अतः उक्त एक बीघा भूमि गैरदाखिलकारी नियमों के तहत आवंटन की जावे।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2015 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज कर प्रश्नगत भूमि रकबाराज घोषित की गयी। उक्त अपील में प्रार्थीगण द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में अपील पेश की गयी जो कि मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

के निर्णय दिनांक 08.09.2015 को निरस्त कर प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनों पक्षों को सुनकर प्रश्नगत भूमि के आवंटन के संबंध में नये सिरे से आदेश पारित करें।

प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार टिब्बी से तलब प्रश्नोतरी शामिल पत्रावली है। जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि गंगादेवी के नाम दर्ज रिकार्ड है। सम्वत् 2011 से 14 तक ख0नं0 346 मि0 की 39.18 बीघा गीधा वल्द हीरा के नाम व सम्वत् 2026 से 2071 तक प0नं0 278/380 कि0नं0 16 की 1.00 बीघा चेतराम तत्पश्चात् गंगादेवी के नाम दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया है।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयान के पूर्वज की गैरदाखिलकारी की भूमि थी। यह भूमि चक बंदी के दौरान 21 व 22 केएनएन में 40.00 बीघा पैमूद हुई इस भूमि में से 39 बीघा का आवंटन हो चुका है परन्तु वर्णित 1.00 बीघा का आवंटन सहबन से रह गया। जिसको प्रार्थीगण आवंटन करवाने के पात्र हैं।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा उभयपक्ष को पुनः सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करने बाबत निर्देशित किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। पुनः सुनवाई के दौरान भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नगत 1 बीघा भूमि किस कारण से आवंटन से वंचित रही गई थी। इससे साबित है कि प्रार्थी को उसकी पात्रतानुसार भूमि पूर्व से ही आंवटित की जा चुकी है। पत्रावली में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया कि प्रार्थीयान का आवंटन प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रश्नगत आराजी चक 21 केएनएन प0नं0 278/380 कि0.नं0 16 की 1.00 बीघा भूमि का आवंटन किया जा सके। अतः प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामरतन सौंकरिया)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ